इकाई 6 भाषा और धर्म*

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 भारतः धार्मिक और भाषायी बहुलता का देश

6.3 भाषा-धर्म अंतराफलक (Intraface) इंटरफेसः मध्यकालीन प्रसंग

6.4 ब्रिटिश भारत और भाषा

6.5 संविधान और भारत की बहुलता

6.6 राज्य पुर्नगठन के लिए एक उपकरण के रूप में भाषा

6.7 सारांश

6.8 संदर्भ

6.9 बोध प्रश्नो के उत्तर

6.0 उद्देश्य

इस इकाई के पढ़ने के बाद, आप समर्थ होंगें :

- भारत में धार्मिक और भाषायी बहुलता का एक लेखा जोखा देने में
- मध्यकालीन अवधि में भाषा और धर्म के अंतराफलक/इंटरफेस के एतिहासिक प्रसंग को वर्णन करने में
- धार्मिक और भाषायी बहुलता कैसे औपनिवेशिक भारत में संबोधित किया जाता था को समझने में
- संविधान के माध्यम से कैसे स्वतंत्र भारत में धार्मिक और भाषायी बहुलता को सुरक्षित रखा गया पर परिचर्चा करना
- राज्य सीमा को पुनः संगठित करने में भाषा ने कैसे भूमिका निभाई, का वर्णन करना

6.1 परिचय

भारत विभिन्न धर्मों का देश है। जबकि कुछ धर्म निश्चित धारणा और अनुस्थापन से संगठित है, अनेक में ऐसी बनावट देखने को नहीं मिलती है। फिर भी, सभी धर्म जिसका भारत में पालन किया जाता है, उसका अलग ढांचे का धार्मिक रिवाज, पवित्र विश्वास और प्रतिबंध है। अनेक स्वदेशीय जनजातीय धर्म के अलावा जो भारतीय में प्रचलित हैं, भारत देश विश्व के अनेक महत्वपूर्ण धर्मों का उद्गम स्थान भी हैं, उदाहरण हिन्दू, जैन, बुद्ध और सिक्ख।

इस धार्मिक बहुलता के इस संग्रह में, एक धर्म जो प्रमुख है, वह हिन्दू धर्म है। हिन्दू धर्म का मूल आदि वेदिक अवधि से देखा जा सकता हैं, जहाँ पर संस्कृत धार्मिक व्यवहार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा था। जबकि, जो आज हम उत्कृष्ट हिन्दू जानते है वह मौलिक रुप से मध्यकालीन और आधुनिक अवधि में वैदिक हिन्दू विचारधारा का आर्यन विचार धारा से लेन-देन और इसके राजनीतिकरण का उत्पाद हैं।

*यह इकाई कनिका कक्कर द्वारा लिखित है।

आज, क्षेत्रवाद, नृजातीयता और आधुनीकिकरण की भाषा और धर्म के बीच के संबंध की परस्पर क्रिया हैं। इसलिए, उदाहरण के लिए, शादी का रीति रिवाज संस्कृत में किया जा सकता है, नवविवाहिता को संबंधियों को आषीर्वाद देना हिंदी वा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में किया जा सकता है, जबकि शादी का आमंत्रण पत्र अभी भी अंग्रेजी में लिखा जा सकता हैं।

6.2 भारतः धार्मिक और भाषायी बहुलता का देश

समाजशास्त्र में, विभिन्नता समान सांस्कृतिक वा सामाजिक जगह पर धार्मिक और भाषायी प्रचलन की भिन्नता को बताता हैं। देश के लम्बाई और चौड़ाई तक भारतीय संदर्भ में ध ाार्मिक विभिन्नता हिन्दू, बुद्ध, जैन, इसाई, इस्लाम इत्यादि का सह-अस्तित्व द्वारा आकार बनाया गया है। हिन्दू धर्म मात्र भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के सभी जीवित महान धर्मों में पुराना धर्म हैं। हिन्दू धर्म के बारे में और अधिक पढ़ने के लिए, हिन्दू और आधुनिक धर्म का व्युत्पन्न हिन्दूत्व के लिए बाक्स 1 देखे जो नीचे दिया गया है। सामाजिक क्रांति और बदलाव के प्रक्रिया के लिए, अनेक धर्म या तो भारत से उत्पन्न हुए है या इसमें बाहर से आये है। जब मूल या आगमन के विवाद से संबंधित और भारत में धर्म का अनुवर्ती अनुक्रम, एक बडा मुद्दा है जो इस इकाई के क्षेत्र से परे है, इस पर विस्तृत बहस जरुरी है ताकि भारत में धार्मिक बहुलता का एक खाका बनाया जा सके।

छठी शताब्दी बी. सी. धार्मिक उठापटक के रुप में चिन्हित हैं, जो दृढ़ और जटिल अभ्यास से परिणत है जिसने हिन्दूत्व पर आघात किया है, जैसे ब्राह्मणों का धार्मिक अनुष्ठान और जाति व्यवस्था से अनन्यता। सामान्य लोगों को अशांति होने के कारण, अनेक खंड का उद्‌गम हुआ है। इसमें से अत्याधिक सामान्य जैन धर्म और बौद्ध धर्म हैं, दोनों भारत में 800-600 बी. सी में उत्पन्न हुआ। यह भारत में हिन्दूत्व के बाद सबसे पुराना धर्म है।

बाक्स-1. हिन्दू, हिन्दू धर्म और हिंदुत्व

भाषा के उपयोग में, हिन्दू शब्द की उत्पत्ति भौगोलिक संकेतार्थ से हुआ हैं, सिंधू (वा ग्रीक में इन्डस) नदी के पूर्व के जमीन पर रहने वाले लोगों का परिचय देने के लिए। लेकिन इस्लाम के भारत में आगमन से, इस शब्द का उपयोग एक धार्मिक समूह को बताने के लिए किया जाने लगा ताकि इस्लाम से अलग कर सके। इस दृष्टिकोण से आज भी हिन्दू एक धार्मिक आधार पर पहचाना जाता है। हिन्दू धर्म हिन्दूओं के धार्मिक और सांस्कृतिक अध्यास से संबंधित एक सिद्धांत है। इसमे द्रविड़ पूर्व के लोग, ड्रविडियन और इन्डो-आर्यन धार्मिक तत्व इसके घेरा में है। हिन्दू धर्म को मानने वाले सर्वश्रेष्ट शक्ति को मानते है, जिसे वे लोग ब्राह्मण कहते हैं, धर्म (कर्तव्य) के सिद्धांत के साथ, कर्म (अच्छी कार्य), आत्मा का अमर होना, पुनर्जन्म का चक्र और मोक्ष (निवारण)। हिन्दू धर्म के साथ, ईश्वर को अनेक तरह से विचार करने को वृहत रुप से बाँटा जा सकता हैं जैसे निर्गुण भक्ति (आकारहीन देवताओं का भक्ति करना) और सगुण भक्ति (खास रुप में देवता का पूजन करना)। यह अलग-अलग भक्ति का रुप अनेक हिन्दूओं के खंड द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता हैं, जैसे शिव शक्ति, लिंगायत, सतनामी, आर्य समाज कबीरपंथी इत्यादि। दूसरे तरफ, शुद्ध हिन्दूत्व जैसे वी. डी. सावरकर ने अपने पत्रिका 'हिन्दूत्व, हिन्दू कौन है? (1923) में लिखा हैं, एक राजनीतिक विचारधारा को बताते है जो सभी चीज जो भारतीय है, और जो नहीं है उससे अलग करते हैं, खासकर धर्म के क्षेत्र में।

लगभग छः शताब्दी के बाद, इसाई धर्म भारत में आया। यह सीरिया के इसाईयों के आने से ईसा वर्ष की पहले शताब्दी में पश्चिमी तट को छुआ। बाद में, मुसलमानों के देश को

जीतने से बहुत पहले, अरब के व्यापारियों के साथ इस्लाम भारत के पश्चमी तट पर पहुँच गया, सिक्ख धर्म सभी धर्मों जिसका आज भारत में माना जाता है उनमें से नया है। यह गुरु नानक के धर्मोपदेश से करीबन 1500 सी.ई. से स्वतंत्रता पूर्व से पंजाब में मनायी जा रही है। जबकि, इन सभी धर्मो में से, हिन्दू धर्म बहुसंख्यक का धर्म आया हैं, यह 2011 के जनसंख्या गणना से भी ज्ञात होता है, जो नीचे दिया गया हैं:

धर्म	आकलित जनसंख्या	प्रतिशत
हिन्दू	96.62 करोड़	79.80
मुस्लिम	17.22 करोड़	14.23
क्रिष्चियन	2.78 करोड़	2.30
सिक्ख	2.08 करोड़	1.72
बुद्ध धर्म	84.43 लाख	0.70
जैन	44.52 लाख	0.37
अन्य धर्म	79.38 लाख	0.66
उल्लेख नहीं है।	28.67 लाख	0.24

मात्र धर्म नहीं, आश्चर्यजनक ढंग से भारत में भाषाओं के आधार पर भी विविधता हैं। वास्तव में, देश में भाषा की विभिन्नता को समझना उतना ही जटिल है जितना धर्म की विभिन्नता। जैसे, दिये गये धर्म में अनेक खंड और अन्य समन्वयात्मक विकल्प है, समान रुप से भारत के सभी प्रमुख भाषाओं में विभिन्नता है, क्षेत्र, जाति और भाषा से परिवार जिस पर वो आधारित है। उदाहरण के लिए, भारत का जनगनना 2011 ने, हिन्दी के कुछ 57 क्षेत्रीय और अन्य रुप को अंकित किया गया है। भारतीय भाषाओं को चार प्रमुख परिवार में बाँटा जा सकता हैं- ड्रविडीयन, इन्डो-आर्यन, तिब्बती-वर्मन और ऐस्ट्रो-एसिआटिक। इन में से, इन्डो आर्यन देश के अधिकत्तम भागों में और यह अधिकत्तम लोगों द्वारा बोली जाती हैं, खास कर उत्तर, पूर्व और पश्चिम मे। इस परिवार के मूल भाषा संस्कृत हैं और इसके प्रमुख भाषा जो बोली जाती है उसमे- हिन्दी, बंगाली, बिहारी, पहाड़ी, गुजराती, भीली, राजस्थानी, कोकनी, मराठी, ओड़िया, असमी और पँजाबी हैं। भारत के दक्षिण में, द्रविड़ परिवार के भाषा प्रमुख है जैसे मलयालम, तमील, कन्नड़, तोड़ा, तेलगू, कोड़गरी और बदगा। अरूणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और जम्मू और कश्मीर के हिमालयन क्षेत्र में तिब्बती-बर्मन परिवार के भाषाओं का उपयोग होता हैं, जबकि मेघालय और ओड़िसा और बिहार के कुछ भाग में एसट्रो-एसियाटिक भाषा का उपयोग किया जाता हैं, जैसे संथाली, मुंडारी, कोरकू, हो और सवरा। भारत में भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार भाषाओं का वर्गीकरण पद्धति समझने के लिए आप आगे नक्शा भी देख सकते हैं।

सोचें और करें 1

अपने पड़ोस में कम से कम 10 परिवार में धार्मिक नीति का विस्तृत सर्वेक्षण करें। उनसे जिसे धर्म को मानते हैं, उसका आस्था और तौर-तरीके पूछे, उसके महत्वपूर्ण पर्व, धार्मिक केंद्र और उनको धार्मिक रुप से अनुमोदित प्रत्येक दिनका व्यवहार पूछे। यदि संम्भव हो, इस की अपने अध्ययन केंद्र के दूसरे विद्यार्थियों से तुलना करे। यह आपको आपके स्थान पर धार्मिक विभिन्नता की तस्वीर लाने में मदद करेगा।

बोध प्रश्न 1

i) विश्व के चार प्रमुख धर्मों का नाम बताए जिसका उत्पति भारत से हुयी है।

.....

.....

.....

.....

.....

ii) कौन कौन प्रमुख धर्म है जो भारत में प्रमुख खण्डों द्वारा पालन किया जाता है, लेकिन उसका उद्‌गम देश में नहीं हुआ हैं।

.....

.....

.....

.....

.....

iii) कौन कौन चार महत्वपूर्ण भाषा का परिवार है जिससे भारत के भाषा संबंध रखते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

6.3 भाषा.धर्म अंतराफलक/इंटरफेसः मध्यकालीन प्रसंग

मध्याकालीन अवधि आने से भारत में भाषा-धर्म इन्टरफेस में बड़ा बदलाव आया। तब तक, सभी मुख्य धर्म सामान्यतया उनके एक भाषा में व्यक्त किया जाता था, क्रमशः उदाहरण के लिए, संस्कृत हिन्दू धर्म की अर्ध मगधी जैन धर्म की, और पाली बौद्ध धर्म की भाषा थी। इनमें से प्रत्येक भाषा को शक्ति थी कि वह अपनी संबंधित धर्म को सम्पूर्ण रुप से व्यक्त करे। जबकि, मध्यकालीन अवधि में, रहस्यवादी और साधु देश के अनेक भाग से (जैसे ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र से, बासवन्ना कनार्टक से, नामलवर तमिलनाडू से, तुलसीदास, मीरावाई, नानक और कबीर उत्तर भारत से) धर्म को व्यक्त करने के लिए शास्त्रीय धार्मिक भाषाओं के नायकत्व को चुनौती देते हुए मातृभाषा के वैधानिकता पर विवाद करना शुरु किया। उन लोगों ने धार्मिक छंदशास्त्र अपने क्षेत्र के खास मातृभाषा में लिखना शुरु किया जैसे तमिल, मराठी, अवधी, राजस्थानी आदि। ये संत लोग सुधारवादी थे जिन्होने एक तरफ धर्म और धार्मिक व्यवहार को जो एक शास्त्रीय भाषा के अधीन था, अक्सर अभिजात वर्ग के अधीन था, को स्वतंत्र किया, धार्मिक प्रसंग में मातृ-भाषा के प्रस्थिति को उपर उठाया, जनसमूह के लिए धर्म को पहुँच के भीतर बनाया।

इस से यहाँ तक की शास्त्रों को भी बोलचाल की भाषायें जन समूह तक पहुँचाया। उदाहरण के लिएः जैन शास्त्र को कन्नड और हिन्दी में अनुवाद किया गया। धार्मिक पाठ को मातृ-

भाषा में अनुवाद करने का प्रेरणा अनेक कारणों से आया- a) सामान्य समूह तक पहुँच के लिए जो शास्त्रीय भाषाओं में पढ़े-लिखे नहीं थे, जो मात्र उस धर्म के अभिजात वर्ग द्वारा उपयोग किया जाता था, जैसेः ब्राह्मण हिन्दू के अंदर संस्कृत में औपचारिक अभ्यास करते थे, जबकि निम्न जाति के लोग इससे बंचित रहते थे, b) रोमन कैथोलिक और प्रोटेसटेंट मिशनरियों ने स्थानीय जनसंख्या को इसाई धर्म में बदल कर भारत में अपनी क्रार्यक्रम को बढ़ाना शुरु किया। इस तरह, कैनन के धार्मिक पाठ को समूह के भाषा में बदलने का आवश्यकता बढ़ गयी।

बोध प्रश्न 2

1) रहस्यवादी और संतो का नाम बताए, उनके संबंध क्षेत्रों के साथ, जिन्होंने धार्मिक ग्रंथ को समूहके उनके मातृ-भाषाओं में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) वह कौन कौन से सामाजिक पहलू थे जिसने धार्मिक पाठ को मातृ-भाषा में अनुवाद करने के लिए शीघ्रता दिखाई?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6.4 ब्रिटिश भारत और भाषा

भारत के विशाल भाषायी विविधता की अनदेखी कर के, इस के औपनिवेशिक शासकों द्वारा यहाँ के लोगों को अंग्रेजी में पढ़ाने के निर्णय करने के पीछे अनेक कारण थे। अंग्रेजी भाषा में पढ़े लिखे भारतीयों की उनके कम-मजदूरी पर लिपिक पद पर नौकरी के लिए जरुरत थी। बदले में इससे उसके प्रशासकीय खर्च में कमी आ गयी। अंग्रेजी भाषा से ब्रिटिश के विश्वासपात्र भारतीय बनाने का काम भी अपेक्षित था। इस तरह से, देश पर राजनीतिक और आर्थिक अधिपत्य स्थापित करने के लिए भाषा को एक औजार के रुप में उपयोग किया गया। उन लोगों ने मात्र उनको सरकारी नौकरी दी जिनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। इस तरह से, भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा के लिए बाध्य किया गया। इससे धनी शहरी निवासी और भारतीय जंसख्या के भीतर का गरीब के बीच वर्ग वितरण किया गया, साथ में क्षेत्रीय भिन्नता बनाया गया क्योंकि कुछ क्षेत्र ब्रिटिश के अधीन था अपेक्षाकृत दूसरे के। लेकिन अधिकत्तर भारतीय अपने मातृ-भाषा के प्रति समर्पित थे यद्यपि लोग घर से बाहर कार्यालय

में अंग्रेजी भाषा का उपयोग करता था। इसके अतिरिक्त औरते चूकि विद्यालय नहीं जाती व उच्च शिक्षा नहीं पाती थी, खासकर अंग्रेजी में, इसीलिए घर की भाषा बची रही और अभी भी मातृ-भाषा ही रही। इस कारण, औपनिवेशिक का लक्ष्य अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा बनाना कभी पूरा नहीं हुआ। अनेक भाषा जो देश में बोली जाती थी वह अपनी क्षेत्रीयता से जुड़ा रहा और उससे उनका मजबूत सामाजिक भावनात्मक लगाव रहा। धार्मिक अनुष्ठान भी क्षेत्रीय भाषा में मनाया जाता था और रामायण जैसा पाठ भी मातृ-भाषा में पढ़ा जाता था। यह प्रचलन कम या ज्यादा आज भी चल रहा है। उदाहरण के लिए- पश्चिम बंगाल का एक अंग्रेजी बोलने वाला पहली पहचान बंगाली के रुप में बनाना चाहता है और यहाँ तक की कुछ निष्पक्ष जगहो पर संलग्न लोगों के बीच भी अपनी खास पहचान के लिए अपने क्षेत्रीय उपभाषा के उपयोग को वरियता देता है।

दूसरी तरफ, धर्म के मामले में, ब्रिटिश ने वर्तमान धार्मिक बहुलता का फायदा उठाया। खासकर, ब्रिटिश सेना के 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद, औपनिवेशक शासकों ने अनुभव किया की यदि उनको भारत पर शासन जारी रखना है तो, उनको देश को देश के भीतर के धार्मिक आधार को तोड़ना होगा। उन लोगों ने रोमन मैक्सिम का नियम 'डिवाइड एट इमपेरा' (फूट डालो और शासन करो) को अपनाया। यद्यपि विद्रोह अनेक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पहलू का परिणाम था, एकता जो हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों ने दिखाया जिसको तुरंत सिपाहियों के विद्रोह का कारण बताया गया, ब्रिटिश के लिए चेतावनी थी। जो औपनिवेशिक शासकों के लिए एक आँख खोलने वाला था, दोनों मुस्लिम और हिन्दू सिपाही ने नयी इन्फिल्ड राइफल का गोली उपयोग करने से मना कर दिया, जो गाय और सुगर की चर्बियों से भरा गया था।

सोचें और करें 2

उन तकनीकों को बताने का प्रयास करें जो ब्रिटिशों ने भारत को धार्मिक आधार पर बाँटकर शासन करने के लिए अपनायीं। उन तरीकों ं को देखे जो ब्रिटिशों ने मुख्य धर्मावलम्बी लोगों को बाँटने के लिए अपनायीं उदाहरण के लिए हिन्दू धर्म और इस्लाम के बीच विद्वेष कैसे पैदा किया? अब, अपने खोज से एक लेख लिखे, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन भारत के क्षेत्रीय भाषाओं पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, और अपने अध्ययन केंद्र पर दूसरों से बात-चीत करे और उन लोगों के धार्मिक प्रचलन का भी अध्ययन करे।

इन एकता को तोड़ना उन लोगों का प्रमुख मुद्दा हो गया। इसके बाद तुरंत 1905 में, उन लोगों ने धार्मिक आधार पर बंगाल को बाँट दिया, जो तब भारत में स्वतंत्रता के लड़ाई का केंद्र था। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुलता का राज्य बन गया, पश्चिम बंगाल में हिन्दू का समूह था। तब 1909 में, उन्होने मार्ले-मीन्टो कानून से मुस्लिम के लिए अलग मतदाता बनाया, जो धार्मिक एकता को तोड़ने का एक कदम था और भारत में धार्मिक बहुलता का फायदा उठाया। दूसरे स्तर पर, ब्रिटिशों ने सिक्खों को सेना में नौकरी के लिए हिंदू और मुस्लिम के अपेक्षा सिक्खों को वरियता, सिक्खों को भारत का लडाकू (Marshal) वर्ग होने के विचार को बढ़ावा दिया। यह भेदभाव सिक्खों के प्रति इसलिए था क्योंकि उन लोगों ने ब्रिटिश को 1857 के विद्रोह में समर्थन किया था। उन लोगों ने पहाड़ी लोगों से गोरखा पहचान को भी लडाकू (मार्शल) रेस का दर्जा बना दिया जो उनके विश्वासी थे। ब्रिटिश ने प्रमुख धार्मिक समूहों के बीच में कलह का बीज वो दिया, खासकर हिन्दू और मुस्लिम के बीच क्योंकि वे इन दो समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ करके भारतीयों पर काबू कर सकते थे।

बोध प्रश्न 3

1) वह कौन कौन सा कारण था जो ब्रिटिश को भारत में अंग्रेजी भाषा को लाने के लिए कहा?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) ब्रिटिश द्वारा कौन कौन से उपाय किये गये ताकि भारत में फूट डालो और शासन करो नीति को अपनाया जा सके?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) इन में से कौन कौन सी रेस को लड़ाकू (मार्शल) रेस के रुप में ब्रिटिश द्वारा बताया गया?

हिंदू सिक्ख

मुस्लिम बुद्ध

.....

.....

.....

.....

.....

6.5 संविधान और भारतीय बहुलता

धर्म भारतीय संविधान के भीतर कही भी वर्णित नहीं किया गया है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की दृष्टि के रूप को 1976 में वयालीसवें संविधान संशोधन से किया गया, जिसमें संविधान के प्रस्तावना में सेकुलर शब्द को जोड़ा गया। लेकिन इसके बाद भी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में अपरिभाषित रहा। यद्यपि इसको ठीक करने के लिए संविधान के पैतालीसवां संशोधन (1978) विधेयक से इस शब्द को अनुच्छेद 366(1) में गणतंत्र के साथ जोड़कर समझने का प्रयास गया । इसने सुझाव दिया कि गणतंत्र को धर्मनिरपेक्ष के रूप में समझा जाय, जिसमें सभी धर्मों के लिए समान आदर हो। जबकि, यह सुधार राज्य परिषद द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

बाक्स 2: धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षता और लौकिकीकरण

धर्मनिरपेक्ष शब्द लेटिन मूल के 'सैएकुलम' से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब शताब्दी या उम्र है। सैएकुलम सामान्य एतिहासिक परिवर्तन का समय था जो कि पवित्र समय के विपरीत है। सैएकुलम में सरकार एक संस्थान के तरह चर्च के विरुद्ध था। इस से लेकर, शब्द धर्मनिरपेक्ष संस्थान को निर्देशित करने के लिए उपयोग किया जाता था, जैसे राज्य, अर्थव्यवस्था, न्यायपालिका इत्यादि, जो एक साथ एक संसार बनाता है उससे धर्म से अलग किया गया है। दूसरी तरफ, धर्मनिरपेक्षता शब्द, एक समाजशास्त्री जोर्ज जैकब होलिओके ने 1851 में में दिया है, यह उन्नीसवी सदी के प्रबोधन और पुनर्जागरण के प्रतिफल हैं। पुनर्जागरण का व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के आधार पर जोर तथा प्रबोधन विज्ञान और कारण को विशिष्ट रूप से दर्शाया, से प्रेरित होकर, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया ताकि अलौकिकता और कुतर्कबुद्धि का सामना कर सके जिसने ईसाई (Christrian) विचारधारा को भ्रष्ट कर दिया था, व्यक्ति की प्रतिष्ठा को पुनःस्थापित करते हुए और धर्मनिरपेक्ष जीवन को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए। सामान्य रुप से स्वीकृत, धर्मनिरपेक्षता की दो परिभाषायें हैं, एक लोक केन्द्रित, और दूसरा राज्य केन्द्रित है। लोक केन्द्रित वर्णन धर्म को अर्थ, शिक्षा, राजनीति, संस्कृति और सामाजिक जीवन से अलग रखते हैं। दूसरी तरफ, राज्य केन्द्रित वर्णन ने राज्य को सभी धर्मो से अलग रखने पर बल दिया। पश्चिम में, जब धर्मनिरपेक्ष और अधिक सक्रिय कार्य नहीं रह गया, संस्थान के धर्मनिपेक्षीकरण पर ध्यान दिया गया। धर्मनिरपेक्षीकरण से मतलब है कि सामाजिक संस्थान स्वायत्तता पाए और धार्मिक सचेतता कम हो जाये। धर्मनिपेक्षीकरण शहरीकरण, विभिन्नता, सहनशीलता और व्यवहारिकता से चित्रण हुआ। इस तरह से, धर्मनिरपेक्षीकरण के प्रक्रिया से धर्म की सामाजिक वैधता कम हो गयी।

भारतीय संविधान सभी धर्मों को बराबरी स्वतंत्रता प्रदान करके धार्मिक बहुलता को देश में समृद्ध बनाने के लिए दृढ़ है। अनुछेद 25-30 जो संविधान के भाग 3 में लिखा गया है वो भारतीय लोगों को स्वतंत्र रुप से कोइ भी धर्म का अभ्यास, प्रचार करने का स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह धार्मिक संस्थान को सहायता के लिए संस्थान और धार्मिक उद्धेश्य के लिए स्थापित और रखरखाव करने का अधिकार भी देता है। इस में से एक अनुच्छेद (अनुच्छेद 27) धार्मिक रिवाज से धन एकत्रीकरण था, वो कार्यक्रम जिससे जो धार्मिक उद्धेश्यों को पूर्ण करने पर कर मुक्त कर देता हैं। इन अनुच्छेदों में खास ध्यान एक तरफ राज्य से चयनित शिक्षण संस्थान को धार्मिक निर्देशन और प्रचार से अलग रहने का है, और दुसरी तरफ धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यको का सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार को बचाना और संरक्षण करना है।

मात्र धर्म नहीं, भारतीय संविधान भाषायी बहुलता को भी संरक्षित करने का काम करता हैं। यह भाग A के अंग्रेजी निर्धारण में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा के रुप में उल्लेखित करता हैं और इसके भाग B में 99 अनुसूचित भाषा के रुप में वर्णित है। 22 अनुसूचित भाषाओं के बोलने वालो का संख्या, 2011 के जनगणना के अनुसार नीचे के तालिका में दिया गया हैं।

यह 22 अनुसूचित भाषाओं की सूची है जिसको भारतीय सरकार कार्यालय द्वारा उत्साहित करते है। जब सूची पहली वार 1950 में बनाया गया, इसमे मात्र 14 भाषाओं का जिक्र था। विगत 50 वर्षो में, जबकि, आठ और भाषाओं को सूची में जोड़ा गया हैं, संगत भाषायी समूह के माँग पर। मैथिली, संथाली, कोकनी और सिंधी उन भाषाओं में से है जिनको क्रमशः जोड़ा

गया। भारत में, इसके अनुसूचित भाषाओं के अलावा, अलग-अलग राज्य को भी अपनी अपनी अनुसूचित भाषाओं की सूची है। लेकिन, धनी भाषायी विभिन्नता का वास्तविक खजाना राज्य के पालन से उपर हैं, क्योकि प्रत्येक राज्य अनेक स्थानीय भाषाओं के खजाने का बाक्स हैं।

बोध प्रश्न 4.

1) संविधान का कौन सा अनुछेद सभी धर्मो को समान स्वतंत्रता प्रदान करता है? उन सब के वारे में विस्तृत लिखे।

.....

.....

.....

.....

.....

2) यहाँ भारतीय संविधान में कितने अनुसूचित और बिना अनुसूचित भाषा बताया गया है. और इन में से किसको सबसे ज्यादा बोलने वाला है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) भारतीय राज्यों को कब भाषायी आधार पर फिर से संगठित किया गाया? ठीक उत्तर में चिन्ह लगाएः

-1947 -1953

-1956 -1960

सोचें और करें 3

भारत के 99 बिना-अनुसूचित भाषाओं का सूची बनाए और देश के भाषायी बहुलता का निरीक्षण करे। यदि संभव हो, अपने अध्ययन केंद्र पर अपने सह पाठी सब से अपने सूची का तुलना करे।

6.6 भाषा राज्य के सीमाओं को पुनर्गठित करने का एक औजार के रुप में

स्वतंत्रता के समय से, भाषायी बहुलता हमेशा से भारत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। एतिहासिक और राजनीतिक विचारो से समर्थित, सांस्कृतिक वा भाषायी आधार के बजाय, उस समय में, अस्थायी व्यवस्था के रु में 571 राजाओं के राज को मिलाकर 27 राज्य बनाये गये। नीचे भाषायी बहुलता का एक निर्देशित मानचित्र दिया गया है तथा यह भारत में पायी जाने वाली विभिन्न भाषाओं की सम्पूर्ण तस्वीर नहीं है।

भारतीय भाषाओं के बहुलता के आधार पर, अभी भी वहा राज्यों को स्थाई रुप से संगठित करने की आवश्यकता है। इस को विचार करके, 1948 में, नव निर्वाचित सरकार ने एस. के. धर समिति का गठन किया ताकि इस मुद्दे पर विचार करे। लेकिन भाषायी आधार पर राज्यों को पुनः संगठित करने के विचार को निरस्त करते हुए, समिति ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों को पुनः संगठित करने का सुझाव दिया। समिति के सलाह से असहमति जताते हुए, उसी वर्ष में सरकार ने जे वी पी समिति का गठन किया जिसमें जवाहर लाल नेहरू, बल्लवभाई पटेल और पत्तभीसीतारमैया को इसके सदस्य के रुप में रखा गया। समिति ने भी तुरंत राज्यों को पुनः भाषायी आधार पर संगठित करने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। 1953 में, जबकि, तेलगू बोलने वालो के माँग और लम्बा विरोध के कारण झुकते हुए, सरकार ने पहला भाषायी राज्य आंध्र प्रदेश बनाया।

उसके पश्चात्, 1956 में फजल अली समिति के अनुशंसा पर, नेहरू के सरकार ने पुनः संगठन अनुछेद के अनुसार देश को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बाँटा। राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बाम्बे, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, औड़ीसा, पँजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल था। छः केंद्र शासित प्रदेशों में अन्डमान और निकोवार आईलैण्ड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मीनीकोई और अमीनडीवी आईलैण्ड, मणीपुर और त्रिपुरा था।

1960 में पुनः, विरोध और हिंसा के पश्चात्, बम्बई को गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में बाँटा गया। नागाओं के लिए, नागालैण्ड का सृजन 1963 में किया गया। और 1966 में, शाह समिति के रिपोर्ट के आधार पर, पँजाब पुनः संगठन का बिल अनुमोदित किया गया और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पँजाब से अलग किया गया। इन सब में, हरियाणा में पँजाबी बोलने वाले लोग आ गये। उत्तराखणड के माँग के दवाव के कारण, जिसके मूल में पहाड़ी पहचान था, जिसका कुमाओनी और गढवाली भाषा बोलने वालो लोग थे, बाकी उत्तर प्रदेश से विलकुल भिन्न, यू पी से 2000 में उत्तराखण्ड काट कर बनाया गया। समान रुप से, उसी वर्ष में बिहार से झारखण्ड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ काट कर बनाया गया। और, अत्याधिक वर्तमान में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से काट कर तेलगू बोलने वालों लोगों के माँग पर बनाया गया है। अन्य प्रशासकीय, राजनीतिक, इतिहासिक और सांस्कृतिक मुद्दे के अलावा। यह भाषायी आधार पर राज्यों के निर्माण का विस्तृत प्रक्षेपवक्र है।

बोध प्रश्न 5

1) स्वतंत्र भारत में पहली बार कब भाषायी आधार पर राज्य का जन्म हुआ था?

.....

.....

.....

.....

2) 1956 में पहली बार भाषायी आधार पर राज्यों को फिर से संगठित करने के बाद के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशो का नाम लिखे?

.....

.....

.....

3) भारत में भाषायी आधार पर सषजित अंतिम राज्य का नाम बताइए?

.....

.....

.....

.....

.....

6.7 सारांश

भारत विविध धर्म और भाषाओं का देश है। अनेक धर्म और भाषाओं का होना भारत में ध ार्मिक और भाषायी विभिन्नता का मूल है। भारत में लोगों की धार्मिक सचेतता को मूर्त रुप देने में भाषा ने अत्याधिक महत्वपूर्ण अभिनय किया है, खासकर मध्यकालीन अवधि मे। औपनिवेशिक अवधि में, शासको को धार्मिक विविधता का ज्यादा शोषण करने के कारण एक तरफ और दुसरी तरफ भाषायी विभिन्नता को कम आंकने के कारण अनेक समस्याएं झेलनी पड़ी। बाद में, स्वतंत्र भारत में, संविधान ने दोनों धार्मिक और भाषायी बहुलता को सुरक्षा प्रदान किया क्योंकि इस ने सभी धर्मो को स्वतंत्रता प्रदान किया और देश के सभी महत्वपूर्ण भाषाओं को मान्यता प्रदान किया। आधुनिक समय में, भाषा ने राज्य के सीमा को पुनः स्थापित करने में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तरह, धर्म और भाषा ने भारतीय जनसंख्या को चेतना में आंतरिक रुप से गुथा हुआ है, जो दोनों की करीब सभी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जटिलता के बावजूद, सुगम उपयोग के लिए दोनों को ढालने की स्वतंत्रता है।

6.8 संदर्भ

ब्लोच, इस्थर. मरीआने केप्पेन्स और राजाराम हेगडे (लिखित). (2010). भारत में धर्म पर पुनः विचारः हिन्दू धर्म का औपनिवेशिक बनावट, लण्डणःरुटलेज. अध्याय 1.2, 3, 4 (पेज. 25-78)

चौधरी, सुजीत. माधव खोषला और प्रतापभानु मेता (लिखित) (2016). भारतीय संविधान का आक्सफोर्ड पुस्तिका, यू. के.: आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस. अध्याय 11, 49 (पेज. 180-195, 885-902)

पट्टनायक, देवी प्रसन्ना (1990). भारत में बहुभाषिता, इँग्लैण्डः बहुभाषिता मैट्र्स लिमिटेड. अध्याय 1, 2, 3 (पेज. 1-36)

6.9 आप के विकास का जाँच करने के लिए नमूना उत्तर

बोध प्रश्नों के उत्तर 1

i) हिन्दू धर्म, बुद्धधर्म, जैन धर्म और सिख धर्म

ii) इस्लाम और इसाई धर्म

iii) इन्डो आर्यन, ड्रविडियन, टिवटो-वर्मन और एस्ट्रो-एसिएटिक

बोध प्रश्नों के उत्तर 2

i) महाराष्ट्रा से ज्ञानेश्वर ज्ञाणेष्वर, वसवन्ना कर्नाटक से, नम्मलवर तमीलनाडू से, तुलसीदास मिरावाई, नानक और कबीर उत्तर भारत से।

ii) धार्मिक ग्रन्थों को मातृभाषा में अनुवाद करने का प्रेरणा अनेक कारणों से आया- a) सामान्य लोगों के लिए पहुच योग्य बनाने के लिए जो प्राय उत्कृष्ट भाषाओं को नहीं पढ़ सकते थे, जैसेः हिन्दू धर्म में ब्राह्मण संस्कृत में औपचारिक अभ्यास करते थे, जबकि निम्न जाति के लोग इससे वंचित रहता थाय b) रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टन्ट मिशनरी ने स्थानीय लोगों के इसाई धर्म में परिवर्तन करके अपने कार्यक्रम को भारत में बढ़ाना शुरु किया। इस तरह से, धर्म वैधानिक पाठ को लोगों के भाषा में रुपांतर करने की माँग बढ़ गयी।

बोध प्रश्नों के उत्तर- 3

i) एक से अधिक कारणो से औपनिवेशिक शासको ने लोगों को अंग्रेजी भाषा पढ़ाने में अधिक अभिरुचि लिया। अंग्रेजी भाषा पढ़े लिखे भारतीय को कम मजदूरी पर उनकी लिपिक के नौकरी के लिए। इस ने उनका प्रशासन पर खर्च कम कर दिया। अंग्रेजी भाषा ने अंग्रेजी के विश्वासी भारतीय वर्ग भी पैदा किया। इस तरह, भाषा को देश पर अपनी राजनीतिक और आर्थिक अधिपत्य के लिए एक औजार के रुप में उपयोग कीया गया। उन लोगों ने सरकारी नौकरी मात्र उनको दिया जिनको अंग्रेजी भाषा आती थी।

ii) 1905 में, उन लोगों ने बंगाल को बाँट दिया, वह तब भारत में स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बिंदु था, धार्मिक रेखा पर। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल राज्य बना, पश्चिम बंगाल में अधिकतर हिंदू था। तब 1909 में, उन लोगों ने मार्ले मीन्टो अधिनियम से मुसलमानो के लिए अलग मतदाता बनाया, जो धार्मिक एकता तोड़ने का एक कदम था और भारत में धार्मिक विभिन्नता से फायदा उठा ने का। दूसरे स्तर पर, ब्रिटिश ने अपनी सेना के नौकरी में हिंदू और मुसलमानो के बजाय सिक्खो को भरना शुरु किया, भारत में सिक्खों को लड़ाकू (मार्शल) वर्ग घोषित करने के अभिप्राय को बढ़ाना।

iii) सिक्ख

बोध प्रश्नों के उत्तर 4

i) संविधान के भाग 3 में लिखित अनुछेद 25-30 भारतीय लोगों को स्वतंत्र रुप से किसि भी धर्म का अभ्यास, प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। यह धार्मिक संगठन को सहायता करने और धार्मिक उद्धेश्यों के लिए संस्थान स्थापित और रखरखाव करने का अधिकार देता है। इन में से एक अनुछेद (अनुछेद 27) धार्मिक अभ्यास से सर्षजित धन पर कर से मुक्ति भी प्रदान करता है वा धन प्राप्ति के क्रियाकलाप पर जो धार्मिक उद्धेश्य के लिए समुचित हो। इन अनुछेदो में खास जोर दिया गया कि एक तरफ राज्य द्वारा पहचाना गया शिक्षण संस्थान को धार्मिक संस्थान और प्रचार से अलग रखा जाय, और दुसरी तरफ भाषायी अल्पसंख्यको के सांस्कृतिक और षैक्षनिक अधिकार को बचाना और संरक्षित क।रना था।

ii) अनुसूचित भाषाए- 22, अअनुसूचित भाषाए-99, हिंदी

iii) 1956

बोध प्रश्नो के उत्तर- 5

i) 1953

ii) राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बाम्बे, जम्मू और काषमीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओड़िसा, पँजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल था। छः केंद्र शासित प्रदेश था अंडमान और निकोवार द्वीप, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्काडिव, मिनिकोइ और अमनदीवी द्वीप, मनीपुर और त्रीपुरा।

iii) तेलंगाना (2014)